

**कार्यालय**  
**प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा**

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक

380

/12-1(2)

अल्मोड़ा

दिनांक 24-07, 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तीरखण्ड अल्मोड़ा।

**विषय** चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली रा0इ0का0 मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या 9220/2015)।

**सन्दर्भ:-** आनलाइन आपत्ति।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत प्रेषित है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Short narrative of the project does not give adequate information about project.	औचित्य एवं आवश्यकता का प्रमाण पत्रसंलग्न कर पार्ट 1 के additional information के क्र०सं० 8 में यूजर एजेंसी द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
2	Period for which forest land is proposed to be diverted is not mentioned.	मोटर मार्ग हेतु लीज में भूमि नहीं ली जाती है। मोटर मार्ग का निर्माण सदैव के लिये किया जाता है। लीज अवधि का प्रमाण पत्र पार्ट 1 के additional information के क्र०सं० 13 में यूजर एजेंसी द्वारा अपलोड कर दिया गया है। संलग्न।
3	Justification for locating project in forest area not satisfactory.	मार्ग का जी0आई 0एस0 मैप में कोर्डिनेट मैप में आरक्षित भूमि अंकित कर मैप पार्ट 1 के सेक्सन सी में अपलोड कर दी गई हैं।
4	Total length of the road length already approved and balance length proposed for approval do not tally.	मोटर मार्ग के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का लम्बाई-चौ० का प्रमाण पत्र संलग्न कर पार्ट 1 के additional information के क्र०सं० 9 में यूजर एजेंसी द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
5	Copy of map indication alternatives examined not attached the map attached shown ca area only.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र डिजिटल मैप व जी0आई0एस0 मैप में निदेशक दर्शाकर पार्ट 1 के सेक्सन एल में अपलोड कर दिया गया है।
6	Date is not mentioned in the proceedings of Gram Sabha meetings under FRA and area is also not correct. GP names are also not mentioned.	वनाधिकार अधिनियम 2006 के ग्रामसभा के प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित कर ग्राम पंचायतों के नाम अंकित कर पार्ट 1 के additional information के क्र०सं० 10 में यूजर एजेंसी द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
7	In the CA area map only two GPS coordinates are gubub nire GPS coordinates are required.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में निर्देशांक पार्ट 1 के सेक्सन एल में अपलोड कर दिया गया है।

8	Maintenance of C.A plantation may be provided up to 10 year as per practice in U.K	क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षों की रख-रखाव योजना तैयार कर पार्ट 1 के additional information के क्र०सं० 11 में यूजर एजेंसी द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
9	In the additional documents the no. Of trees in forest area is given as 433 and that in nap land 361 totaling 794 but the no. Of trees in forest land is given 794 in part II which may be reviewed accordingly, Density of vegetation and rate of NPV may also be reviewed.	वन भूमि में आने वाले वृक्षों के अनुसार N.P.V का नवीन संशोधित आकलन प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
10	Working plan prescription of the forest land has not been given whereas 0.7ha reserve forest land is proposed for diversion.	0.17 है० आरक्षित भूमि मोटर मार्ग के समरेखन अन्तर्गत प्रभावित होती है। जिसे मोटर मार्ग के समरेखन से नहीं हटाया जा सकता है।
11	Approximate distance of the proposed site of diversion from boundary of forest is not given.	आरक्षित भूमि की सीमा मोटर मार्ग के एलांगमैन्ट मानचित्र में दर्शाई गयी है। जिसे पार्ट 1 के additional information के क्र०सं० 12 में यूजर एजेंसी द्वारा अपलोड कर दिया गया है।

~~संलग्न - व्योक्त ।~~

भवदीय,  
  
(एस०आर०प्रजापति)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :- चित्तूर पन्त तिराहे से हरिद्वार पेठशाली राउंडका कोट  
मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं० 9220/2015)

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय के  
आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के  
अनुसार आवेदन वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

- 1- ईको-क्लास श्रेणी..... V
- 2- हरियाली का घनत्व ..... 0.3
- 3- एन०पी०वी० की दर प्रति है० ..... 8,15,000/-
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल है० ..... 2.43875
- 5- कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि रू० 2060744 = 20 (दू बीस लाख, साठ  
हजार, सात सौ चौकलिस मात्र)

प्रभागीय वनधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा